न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 53/18 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00207

उनवान

1. नत्थो उर्फ नत्थीलाल पुत्र भगवानदास
2. रामेश्वर उर्फ दिन्ना पुत्र फतेलाल (दौराने वाद फौत)
   2/1. ओमवती पत्नी रामेश्वर उर्फ दिन्ना
   2/2. उमेश कुमार } पि0 रामेश्वर } कौम ब्राहम्ण निवासी कस्बा जरिहा राजाखेडा हाल मोहन कौलोनी सेक्टर नम्बर 02 धौलपुर।
   2/3. मनोज कुमार
   2/4. रिकूं
   2/5. नीतू पुत्री रामेश्वर

........................अपीलांट।

बनाम

1. सुन्हैरी } पि0 अन्तराम कौम ब्राहम्ण निवासीगण खनपुरा राजाखेडा तहसील राजाखेडा।
2. सुमतिचन्द
3. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.... असल रेस्पोडेण्ट

4. रामसुजन पुत्र फतेलाल } कौम ब्राहम्ण निवासीगण कस्बा जरिहा राजाखेडा जिला धौलपुर।
5. शारदा वेवा मुन्नालाल
6. राकेश } पिस0 स्व0 मुन्नाला
7. सोनू
8. राजवीर

..............................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दि0 29.06.2018 प्र.सं. 139/14 उनवानी भगवानदास बनाम सुन्हैरी।

उपस्थित :–

1. श्री अश्विनी जैन वकील अपीलांट।
2. श्री निशान्त भार्गव, विमल कुमार शर्मा वकील रैस्पो0।

दिनांक–21.01.2025

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के

भू-प्रबन्ध अधिकारी व राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गिरवर पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज चली आ रही है। गिरवर का देहान्त अर्सा करीब 40 वर्ष पूर्व लाबल्द हो चुका है। उनके तन्हा वारिस वादीगण अपीलाण्ट के पिता फतेलाल खास भाई मु0 गिरवर हुये। फतेलाल भी फौत हो चुके हैं। अतः विवादित आराजी के मृतक के वारिस एवं काबिज तर्का वादीगण अपीलाण्ट हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2018 से तहसीलदार राजाखेडा को खातेदार गिरवर की विरासत का नामांतकरण जॉच करके खोलने के आदेश दिये। परन्तु तहसीलदार राजाखेडा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 के पक्षक में नामान्तकरण खोल दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी का खातेदार गिरवर है एवं गिरवर की मृत्यु लाबल्द हो चुकी है एवं गिरवर की आराजी का ही प्रकरण में विवाद है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी। प्रकरण प्रार्थना पत्र 08 नियम 1 सीपीसी में विचाराधीन था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय ही पारित नहीं किया एवं पत्रावली सीधे राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राजस्व लोक अदालत में ना तो अपीलाण्ट उपस्थित थे एवं ना ही उन्हें राजस्व लोक अदालत में हाजिर होने के लिये कोई सूचना ही दी गयी। अतः अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की बैक पर पारित हुआ है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना में हुये नामान्तकरण को एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये पुनः पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में अपील अपीलाण्ट को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति जाहिर की गयी। परन्तु अपीलाधीन आदेश की पालना में हुये नामांतकरण को निरस्त करने पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि नामांतकरण निरस्त कराने के लिये अपीलाण्ट पृथक से धारा 144 प्रस्तुत करने को स्वतंत्र हैं। परन्तु हस्तगत अपील से नामांतकरण निरस्त नहीं किया जावें। अंत में अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्र... अधिकारी
...
राजस्व अ... अधिकारी
भरतपु... धौलपुर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.03.2017 अनुसार कायमी तनकीयात में विचाराधीन था। दिनांक 20.04.2017 को प्रकरण में प्रार्थनाा पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात् प्रकरण वास्ते जवाब व बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी में विचाराधीन रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में ना तो दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कोई तनकीयात ही कायम की गयी एवं ना ही प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी का निस्तारण किया एवं सीधे प्रकरण दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प जरिहा नंम्बर 02 में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु पक्षकारो को कोई सूचना दी हो। ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस/सम्मन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं ना ही आदेशिका पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति/हस्ताक्षर अंकित हैं। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पक्षकारो की अनुपस्थिति में उनकी बैक पर पारित हुआ है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। दौराने बहस उभयपक्ष प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु सहमत हुये। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू-प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू-प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर